



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1242

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18516 वर्ष 2025

राम शंकर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता

: रायूफ अली

प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी
अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रायूफ अली का पक्ष प्रस्तुत करते हुए श्री प्रदीप कुमार (एओआर संख्या ए/पी 0519/25) को और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. मूलतः, इस याचिका में रिट याचिकाकर्ता को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने हेतु अनुतोष माँगा गया है। याचिका के अनुलग्नक-4 के पृष्ठ 25 से स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्ता के अनुरोध पर यह मामला श्रम न्यायालय को संदर्भित किया गया है।
3. एक बार उक्त कार्यवाही लंबित हो जाने पर, याचिकाकर्ता को उक्त कार्यवाही का विरोध करने का अधिकार होता है।
4. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया है।

6 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।